न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी श्री रवि वर्मा

अपील संख्या 16/24 — तारीख रुजू– 16.05.24

1. भरतू पुत्र किशोरी मीना आयु 65 साल जाति मीना निवासी खिदरपुर तहसील वजीरपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

—रेस्पोडेन्ट

निर्णय — दिनांकः– 29.07.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 193/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम महा0डयौढा के आराजी ख0नं0 261 रकबा 0.02है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि ग्राम महा0डयौढा में स्थित भूमि खं0न0 261 रसीद पुत्र गफूरा, हमीद, मुस्तकीम पुत्र महमूद असफाक ईसाफ पुत्र महमूद खान की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि ना तो राजकीय भूमि है ना हि चरागाह भूमि है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिकमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिकमण नहीं था, साथ वकील अपीलार्थी ने अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिकमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिकमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की सजा माफ की जाती है तो अतिकमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम खिदरपुर में स्थित भूमि खं0नं0 261 किस्म चरागाह की रिपोर्ट अदालत मातहत में की है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा ग्राम महानन्दपुर डयोढा में स्थित भूमि खं0नं0 261 का निर्णय पारित कर दिया है। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अदालत मातहत को उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं राजस्व रिकोर्ड की भलीभांति जांच करते हुए नये सिरे से तीस दिवस मे निर्णय पारित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/03/2024 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी